प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 49/22 दिनांक 27/12/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी भा.दं0सं0
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 537 समय 7.10.PM
   (2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 26.12.2022 समय 04:20 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.12.2022 समय करीब 01:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **550** किलोमीटर
   (2) पता – कोटडा–बिकरनी रोड, कोटडा, उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : – श्री प्रताप बूम्बरिया
(2) पिता का नाम : – श्री धरमा जी
(3) आयु : – 38 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : – कृषि
(7) पता : – **ग्राम कूकावास तहसील कोटडा जिला उदयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1 श्री धरमवीर पुत्र श्री वीरेन्द्रसिंह उम्र 33 वर्ष जाति गुर्जर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल उपकारापाल उपकारागृह कोटडा जिला उदयपुर

2 श्री करणसिंह पुत्र श्री एकनाथसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपुत निवासी माण्डवा रोड कोटडा, जिला उदयपुर (दलाल)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	3000 रूपये	

आरोपी श्री धरमवीर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोंग कर उसके दलाल श्री करणसिंह से षडयंत्र रचकर अवैध पारितोषण के रूप में 5000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर 3000 रूपयें की रिश्वत राशी की ग्रहण करनें की सहमति प्रदान कर दिनांक 26.12.2022 वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री धरमवीर के कहे अनुसार आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से 3000 रूपयें अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई टी–शर्ट की आगे की जेब में रखना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 23.12.2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे श्री प्रताप बूम्बरिया का परिचय करवाकर श्री प्रताप बूम्बरिया द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में लेकर आया परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो अंकित किया गया कि ''मेरा नाम प्रताप बूम्बरिया पुत्र श्री धरमा जी उम्र 38 वर्ष निवासी कूकावास तहसील कोटडा जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई दिनेश बूम्बरिया पुलिस थाना कोटडा के मुकदमें में कोटडा जेल में करीब दो माह से बंद है। मैं दो–तीन दिन पहले मेरे भाई दिनेश से मिलने के लिए कोटडा जेल में गया तो मेरे भाई दिनेश ने बताया कि जेलर साहब बहुत मारपीट कर रहे है तथा पुरा खाना भी नहीं खिलाते है और कहते है कि जेल में इस सब से बचना है तो मुझे खर्चा पानी देना पडेगा। उन्होंनें कहा है कि करण भाई कोटडा वाले से मिल लेना। जिस पर मैं श्री करणसिंह से मिला तो करणसिंह ने मुझे कहा कि जेलर साहब धरमवीर जी ने तेरे भाई दिनेश के बारें में मुझे बताया था और मुझे जैलर साहब ने कहा कि यदि तुम खर्चा पानी के 5000 रूपयें दोंगे तो तुम्हारें भाई दिनेश के साथ मारपीट नहीं करेगें, सही खाना देंगे और परिवार वालों से मिलने देंगे। करण सिंह ने कहा कि मेरी जेलर साहब धरमवीर जी से बात हो गई है, तुम 5000 रूपयें की व्यवस्था कर मेरे पास आना। मैं जेलर साहब श्री धरमवीर जी और उनके आदमी करणसिंह को रिश्वत राशी नहीं देना चाहकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे उधार रूपयों की कोई बाकियात नहीं है और न ही कोई दुश्मनी है। अतः कार्यवाही करावें।'' परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय रिक्त ममोरी कार्ड के मंगवाया गया। समय करीब 02:30 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री प्रताप बुम्बरिया से परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबर आपस में सेव करवाये गये तथा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन एवं वॉईस रिकार्ड करनें की विधि समझाई तथा परिवादी के साथ श्री दिनेश कुमार कानि0 को मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कहा तो परिवादी द्वारा बताया कि आज जेलर साहब श्री धरमवीर जी के आदमी श्री करणसिंह के बाहर होने से वार्ता नहीं हो सकती है। कल दिनांक 24.12.2022 को मैं सुबह दिनेश जी को कोटडा कस्बे में ही मिल जाउंगा। जिस पर श्री दिनेश कानि0 को दिनांक 24.12.2022 की सुबह कोटडा उपखण्ड पर पहूँच कर परिवादी से संपर्क कर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने की हिदायत दी गई तथा परिवादी को रूकसत दी गई। समय 06:00 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिनांक 24.12.2022 की सुबह कोटडा उपखण्ड पर पहूँच कर परिवादी से संपर्क कर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने की हिदायत दी गई। दिनांक 24.12.2022 को समय करीब 04:48 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री दिनेश कुमार कानि. द्वारा कॉल कर बताया कि निर्देशानुसार आज दिनांक की सुबह करीब 09:00 एएम पर कार्यालय से रवाना होकर कोटडा उपखण्ड पहूँच परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से संपर्क किया जिस पर

परिवादी मुझे कागवास ग्राम पर मिला जिसके साथ रवाना होकर उपखण्ड कोटडा पर आये जहां परिवादी के मोबाईल से दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल पर कॉल किया तो करणसिहं ने जेलर द्वारा मांगी गई पॉच हजार रूपयें की राशी को कम करवाते हुए तीन हजार रूपयें देने हेतु वार्ता की । जिसके बाद दलाल करणसिंह उपकारागृह कोटडा के पास में परिवादी से मिला तो परिवादी को साथ में लेकर कारागृह के अन्दर गया और जेलर, श्री करणसिंह एवं परिवादी के मध्य रिश्वत मांग संबंधी वार्ता हुई जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। जिसे परिवादी द्वारा मुझे बताया कि मेरी जेलर साहब और उनके आदमी करणसिंह से बात हुई तो उनके द्वारा तीन हजार रूपयें लेकर अगले दिन बुलाया है। जिस पर श्री दिनेश कुमार को वॉईस रिकार्डर सुरिक्षत लेकर आने तथा परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था करनें हेतु निर्देश दिया गया। दिनांक 26.12.2022 को समय करीब 11:00 एएम पर श्री भारतसिंह कानि0 को तहरीर देकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया जो नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर एवं श्री कैलाश डांगी के साथ ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुआ। दोनों स्वतंत्र गवाह को परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र सरकारी गवाह सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाह द्वारा अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई तथा परिवादी श्री प्रताप का रस्तें में मिलना बताया। समय करीब 11:37 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री प्रताप को कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि उसके द्वारा रिश्वत राशी 3000 रूपयें की व्यवस्था कर दी गई तथा वह कागवास ग्राम के मुख्य सडक पर मिलेगा और बताया कि जेलर के दलाल श्री करणसिंह बार–बार रूपयें के लिए फोन कर रहा है। जिस पर परिवादी को बताया कि मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरों टीम के उसके पास पहुँच रहा हूँ। समय करीब 01:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, हमराह श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल, श्री कैलाश, एएसआई श्री सुरेश कुमार, एलसी श्री नन्दकिशोर, श्री भारतसिंह मय फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी, श्री दिनेश कुमार मय डिजिटल वॉईस रिकार्डर, श्री राजेश कुमार मय प्रिन्टर लेपटॉप, श्री प्रदीप कुमार मय ट्रेप बॉक्स, अन्य आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहनों से कस्बा कागवास की तरफ रवाना होकर समय करीब 03:30 पीएम पर कागवास से कोटडा कस्बे की ओर जाने वाली सडक पर पहूँचे। जहां परिवादी श्री प्रताप उपस्थित मिला। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी प्रताप द्वारा शब्द–ब–शब्द सत्य होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03:35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.12.2022 को परिवादी श्री प्रताप एवं संदिग्ध आरोपी श्री धरमवीर एवं उसके दलाल श्री करणसिंह के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता तथा रूबरू हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ताओं बारी–बारी को वॉईस रिकार्डर से चलाकर वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाह को सुनाये गये तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध जेलर धरमवीर एवं उसके दलाल करणसिंह की होने की ताईद की। स्वतंत्र गवाहानों द्वारा वार्ता को सुनकर परिवादी से संदिग्ध लोकसेवकों द्वारा रिश्वत राशी मांग की पुष्टि की गई। समयाभाव होने से वार्ता की ट्रांसकिप्ट एवं सीडी बाद में मुर्तिब किया जाना सुनिश्चित किया गया। समय करीब 03:40 पी.एम. पर स्वंतत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर एवं श्री कैलाश डांगी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री प्रताप से मांगने पर परिवादी ने पास से 500–500 रूपयें 06 नोट कुल 3000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

कम संख्या	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 705141
2	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 WV 630166
3	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HP 978015
4	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 HT 793038
5	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 PG 292049
6	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 UB 215324

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री भारतसिंह कानि0 के पास रखवाई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 3000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री भारतसिंह कानि0 से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश डांगी से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री भारतसिंह से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री भारतसिंह की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री राजेश से फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। अखबार को नष्ट किया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी धरमवीर के दलाल श्री करणसिंह को उनकी मांग अनुसार 3000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। श्री भारतसिंह को मय फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी के प्राईवेट टेक्सी वाहन में ही रहनें की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री प्रताप को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की आगे की बांयी जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की मोटरसाईकिल से परिवादी तथा श्री दिनेश कानि0 को रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, स्वंतत्र गवाह श्री

मांगीलाल बुनकर एवं श्री कैलाश डांगी, ब्यूरों टीम सदस्य दो प्राईवेट टेक्सी वाहनों से कस्बा कोटडा की तरफ रवाना हुए। समय करीब 04:08 पीएम पर उपखण्ड कोटडा से माण्डवा मुख्य सडक पर कोटडा इण्डियन पेट्रोल पंप से पहले कुछ दुरी पर पहूँचकर रूके तथा परिवादी के मोबाईल नंबर 7490950825 से आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल नंबर 9660132416 पर कॉल करवाया आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा कोटडा माण्डवा रोड पर ही होना बताया तो परिवादी ने कहा कि वह पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पहले माण्डवा की तरफ जाने वाले रोड पर खडा है। जिस पर आरोपी दलाल करणसिंह ने उसके पास आने हेतु बताया। उक्त वार्ता को लाउड मोड ऑन करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन आस-पास छुपाव हासिल कर आरोपी दलाल करणसिंह के आने का इंतजार करनें लगे तथा परिवादी श्री प्रताप को हिदायत दी गई कि आरोपी दलाल करणसिंह के आने पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता को रिकार्ड करे तथा मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह मय हमराहीन परिवादी से थोडी दूरी बनाकर अपनी-अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। कुछ देर में मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आकर सडक पर खडे परिवादी श्री प्रताप के पास आये तथा दोनों मोटरसाईकिल से उतरे एवं मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति ने परिवादी से कुछ वार्ता कर उससे रिश्वत राशी ग्रहण करनें पर समय करीब 4:20 पीएम पर परिवादी ने अपने सिर पर हाथ फेरकर गोपनीय तरीके से पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह एवं हमराहीन के तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहूँचा तो परिवादी ने वॉईस रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे अपने पास सुरक्षित रखा। मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीन को देखकर एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाईकिल पर बैठा था वह सडक से अन्दर कच्ची रोड की तरफ भाग गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि ये श्री करणसिंह जी है जो जेलर साहब के आदमी है जिन्होंने जेल में बंद मेरे भाई के साथ मारपीट नहीं करने, खाने की सुविधा देने तथा आसानी से परिजनों से मुलाकात करानें की एवज में अभी-अभी मुझसे 3000 रूपयें रिश्वत राशी अपने हाथों से ग्रहण कर इनके पहनी टी-शर्ट की आगे की बांयी जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री करणसिंह पुत्र श्री एकनाथसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपुत पेशा - कृषि, निवासी माण्डवा रोड कोटडा, जिला उदयपुर होना बताया। उक्त व्यक्ति श्री करणसिंह से पुछा अभी-अभी परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से किस बात की रिश्वत राशी ग्रहण की गई है तो आरोपी हाथ जोडकर माफी मांगने लगा और कहने लगा यह राशी मैनें अपने लिए नहीं ली यह राशी तो मैंने जेलर साहब श्री धरमवीर जी के लिए ली है। एक बार छोड दो साहब आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर आरोपी को ग्रहण की गई रिश्वत राशी कहां रखी है पुछा तो अपनी पहनी हुई टीशर्ट की आगे की बांयी जेब में रखी होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री करणसिंह के कथनानुसार प्रमाणन हेतु आरोपी श्री करण सिंह के मोबाईल से कॉल करवाने हेतु कहा तो आरोपी दलाल श्री करणसिंह ने कहा कि जेलर साहब मुझसे केवल वॉटसअप कॉल पर ही वार्ता करते है। जिस पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल फोन के वॉटसअप से आरोपी जेलर श्री धरमवीर के मोबाईल वॉटसअप पर कॉल करा फोन के लाउड स्पीकर मोड को ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया। वार्ता में आरोपी दलाल श्री करणसिंह ने कहा कि साहब वो प्रताप 3000 रूपयें देकर गया है तो आरोपी श्री धरमवीर ने कहा की जेल पर आ जाओं। जिस पर आरोपी श्री करणसिंह ने कहा कि साहब यह राशी मैनें जेलर साहब श्री धरमवीर जी के लिए ली वो मुझसे यह राशी ग्रहण कर लेगें। जिस पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह का एक दांये हाथ की बांह को श्री दिनेश कुमार कानि0 तथा बायें हाथ की बांह को श्री नन्दकिशोर से पकडवाया जाकर वहां से रवाना होकर उपकारागृह कोटडा से कुछ दूरी पर पहूँचे। जहां पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल से आरोपी श्री धरमवीर के वॉटसअप पर कॉल करा लाउडस्पीकर मोड ऑन करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया। उक्त वार्ता में आरोपी दलाल श्री करण सिंह ने श्री धरमवीर से कहा कि ''प्रताप ने दिये है तीन हजार रूपयें तो कहा आंउ'' जिस पर आरोपी श्री धरमवीर ने कहा कि ''हॉ तो जेल पर आ जाओ'' मेरे साथ मेरा दोस्त है आप जेल से बाहर आ जाओं तो आरोपी श्री धरमवीर ने कहा कि मैं बाहर आ रहा हूँ। आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा ग्रहण की गई

राशी आरोपी जेलर श्री धरमवीर सिंह को देने हेतु रवाना कर साथ में कानि0 श्री दिनेश को रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन उपकारागृह कोटडा के बाहर मुख्य द्वार पर जाकर समय करीब 04:28 पीएम पर आरोपी धरमवीर के वॉटसअप पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह के वॉटसअप से कॉल करा लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया तो उक्त वार्ता में आरोपी धरमवीर ने कहा कि ''आ जाओं अन्दर ही हूँ मैं'' तो आरोपी दलाल ने कहा कि ''मैं कही काम से जा रहा हूँ एक सर है साथ में, मेरे कही बाहर जाना है'' जिस पर आरोपी धरमवीर ने कहा कि बाहर तो आ जा तु''। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरों टीम सदस्य मुख्य सडक पर बाहर छुपाव हासिल कर खडे रहे थे कि समय करीब 04:40 पीएम पर एक व्यक्ति कारागृह से बाहर आकर आरोपी दलाल श्री करणसिंह से बातचीत करने लगा तभी ब्यूरों टीम सदस्य श्री दिनेश कुमार कानि0 एवं मन् पुलिस निरीक्षक, ब्यूरों टीम को देखकर आरोपी श्री धरमवीर वापस कारागृह के द्वार के अन्दर तेजी से भागा तथा द्वार बंद करने लगा तभी ब्यूरो टीम सदस्य श्री दिनेश कुमार ने बाहर से द्वार खोलने का प्रयास किया तब तक मन् पुलिस निरीक्षक तथा ब्यूरों टीम सदस्य कारागृह के द्वार पर पहुँच तो आरोपी दलाल श्री करणसिंह ने बताया कि ये जो अन्दर भागे है यहीं श्री धरमवीर जी जेलर साहब है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मुख्य द्वार के अन्दर लगे छोटे द्वार को धक्का लगाया तो आरोपी श्री धरमवीर अन्दर से जोर–जोर से चिल्लानें लगा और जेल के अन्दर हेड वार्डर एवं वार्डर को आवाज लगानें लगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ब्यूरों टीम ने धक्का लगाकर मुख्य द्वार में लगे छोटे द्वार को खोला तो अन्दर कारागृह के दो तीन वार्डर एवं हेड वार्डर के साथ आरोपी श्री धरमवीर भी खडा था। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं एव हमराहीन का परिचय देने पर आरोपी जोर–जोर से चिल्लाकर जेल स्टाफ से ब्यूरों टीम सदस्यों को बाहर खदेडनें के लिए कहकर भागने लगा जिसे ब्यूरों टीम सदस्यों द्वारा भागकर पकडा जिस पर कारागार के वार्डर एवं हेड वार्डर हमला करनें की नीयत से मन् पुलिस निरीक्षक तथा ब्यूरों टीम के सदस्यों के सामनें आये जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमाराहीन का परिचय देकर ब्यूरों द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया तभी भी कारागृह के वार्डर एवं हेड वार्डर विरोध करने लगे तथा आरोपी श्री धरमवीर को छुडानें लगे तो मन् पुलिस निरीक्षक तथा ब्यूरों सदस्यों द्वारा निरोध हेतु आवश्यक बल लगाकर उन्हें रोकनें के पश्चात वे सभी शांत हुए। तत्पश्चात आरोपी श्री धरमवीर को निजी वाहन में तथा आरोपी दलाल श्री करणसिंह के बायें हाथ को बाह से श्री दिनेश कुमार तथा दायें हाथ की बांह को श्री नन्दकिशोंर के साथ पकडवाया जाकर प्राईवेट टेक्सी में बैठाकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोटडा पर समय करीब 04:50 पहूँचे। जहां थानाधिकारी श्री रामसिंह से स्वयं एवं हमराहीन का परिचय देकर ब्यूरों द्वारा की गई कार्यवाही में लिखा–पढी हेतु एक कक्ष उपलब्ध करानें के लिए निवेदन करनें पर थाने का स्वागत कक्ष उपलब्ध करवाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों आरोपी श्री धरमवीर तथा श्री करणसिंह को लेकर पुलिस थानें के स्वागत कक्ष में लेकर आये। जहां आरोपी दलाल श्री करणसिंह को परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से ग्रहण की गई रिश्वत राशी किस बात की ग्रहण की गई पुछने पर श्री करणसिंह ने आरोपी श्री धरमवीर की तरफ ईशारा कर बताया कि यह राशी मैनें जेलर साहब श्री धरमवीर जी के लिए ली है और जोर–जोर से रोने चिल्लानें लगा कि साहब हमें छोड दो भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेंगें। जिस पर आरोपी श्री धरमवीर कहने लगा साहब यह रूपयें रिश्वत की राशी के नहीं है और मैनें अपने लिए नहीं लिये है यह तो प्रताप के भाई दिनेश को खाना खिलानें के लिए ली है। जिस पर आरोपी श्री धरमवीर की मांग एवं कहे अनुसार दलाल श्री करणसिंह द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री राजेश कुमार कानि0 से निजी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश डांगी से दो साफ कांच की गिलासें निकलवाकर उसमें थानें से मंगवायें गयें साफ पानी को कांच के गिलासों में अलग–अलग भरवाकर स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश डांगी से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री करणसिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित

गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल. एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री करणसिंह से रिश्वत राशी कहां रखी है के बारें में पुनः पुछा तो बताया कि मेरी पहनी हुई टीशर्ट की आगे की बांयी जेब में रखी है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल से आरोपी के टीशर्ट की आगे की बांयी जेब की तलाशी लिवाई तो उसमें सें 500–500 रूपयें के कुछ नोट मिले जिन्हें पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से गवाह श्री मागीलाल से मिलान करवाया तो गवाह श्री मांगीलाल ने हुबहु निम्नानुसार मिलान होना बताया –

कम संख्या	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 705141
2	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 WV 630166
3	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HP 978015
4	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 HT 793038
5	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 PG 292049
6	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 UB 215324

जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा रिश्वत राशी स्वयं की टीशर्ट की जेब में रखनें से संबंधित जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने तथा आरोपी द्वारा टीशर्ट के अन्दर पुरी आस्तीन का गर्म वस्त्र पहना हुआ होने से टी–शर्ट को ससम्मान एक तरफ कोने में उतरवाई जाकर जैकेट मंगवाकर पहनाया गया। टी–शर्ट की बांयी जेब का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु श्री प्रदीप कुमार कानि0 से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें गवाह श्री कैलाश डांगी से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री कैलाश डांगी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में आरोपी दलाल श्री करणसिंह के टीशर्ट की आगे की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क टी–1 व टी –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के टीशर्ट की आगे की बांयी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जें ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री धरमवीर से परिवादी श्री प्रताप बुम्बरिया के भाई श्री दिनेश के कारागृह में आमद संबंधी पुछा तो आरोपी श्री धरमवीर ने कहा कि श्री दिनेश न्यायिक अभिरक्षा में होकर वर्तमान में उपकारागृह कोटडा में बंद है। जिस पर उपकारागृह कोटडा के वार्डर श्री रविन्द्रसिंह से परिवादी के भाई श्री दिनेश के जेसी आदेश की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया का भाई श्री दिनेश उर्फ दिदू को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटडा के आदेश संख्या 370 दिनांक 10.11.2022 द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जो वर्तमान में कोटडा उपकारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त सत्यापित छायाप्रति दस्तावेजों पर स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री प्रताप, आरोपी श्री धरमवीर तथा आरोपी दलाल श्री करणसिंह के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वत राशी बरामदगी एवं हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं ब्यूरों टीम सदस्य श्री राजेश कुमार एलसी मय लेपटॉप प्रिन्टर के निजी वाहन से घटनास्थल की तस्दीक एवं फर्द मुर्तिबगी हेतु रवाना दोनों घटनास्थल की तस्दीक कर फर्द मुर्तिब की गई तथा पुनः पुलिस थाना कोटडा पर उपस्थित हुआ। समय करीब 06:35 पीएम पर इमदाद हेतु साथ में उपस्थित आये श्री आदर्श कुमार

पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाह एवं कानि0 श्री राजेश कुमार तथा कोटडा पुलिस थाने से एक महिला कानि. प्रियंका को साथ लेकर आरोपी श्री धरमवीर के कोटडा उपकारागृह परिसर में स्थित सरकारी क्वाटर की खाना तलाशी हेतु रवाना किया। जो आरोपी श्री धरमवीर के सरकारी क्वाटर की खाना तलाशी हेतु गये हुए पुनः पुलिस थाना कोटडा पर उपस्थित हुए। फर्द खाना तलाशी को शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 08:30 पीएम पर दिनांक 24.12.2022 को परिवादी श्री प्रताप, आरोपी दलाल श्री करणसिंह तथा आरोपी श्री धरमवीर के मध्य मोबाईल एवं रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता की एक मूल एवं दो डब सीडी मुर्तिब की गई। मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद की जाकर मार्क ''ए'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई। समय करीब 09:20 पीएम पर दिनांक 26.12.2022 को परिवादी श्री प्रताप, आरोपी दलाल श्री करणसिंह तथा आरोपी श्री धरमवीर के मध्य मोबाईल एवं रूबरू हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता की एक मूल एवं दो डब सीडी मुर्तिब की गई। मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद की जाकर मार्क ''बी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk 16 GB बरंग काला को वजह सबूत कपडे की थेली सीलबंद कर मार्क ''सी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री धरमवीर एवं उसके दलाल आरोपी श्री करणसिंह को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु पृथक–पृथक तहरीर दी गई तो आरोपियों द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने हेतु अंकित किया गया। पत्र की प्रतियों को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री धरमवीर उपकारापाल उपकारागृह कोटडा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से समय करीब 10:07 पीएम पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 9340133735 पर पत्नी श्रीमती ऋचा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनों आरोपियों के वॉटसअप को ऑपन करा कॉल लॉग का अवलोकन करा तो आरोपी श्री धरमवीर के वॉटसअप कॉल लॉग में आज दिनांक 26.12.2022 को कोई कॉल आना अथवा जाना नजर नहीं आया जिस पर आरोपी से पुछा तो उसने बताया कि आईफोन में आने एवं जाने वाले कॉल को सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो डिलिट सिन्क्रोनाईज कर रखा है इसलिए दिन भर की आने जाने वाली कॉल्स शाम को ऑटोमेटिक ही डिलिट हो जाती है। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल का वॉटसअप कॉल लॉग ओपन कर अवलोकन किया तो आरोपी धरमवीर एवं आरोपी दलाल के मध्य आज दिनांक 26.12.2022 को प्रश्नगत अवधि में कॉल आना एवं जाना पाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल से आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट फोटो लिया जाकर प्रिन्ट किया गया। प्रिन्ट पर आरोपी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री धरमवीर से बरामद मोबाईल फोन को जरिये फर्द वजह सबुत जब्त किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कपडे की थेली में सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री करणसिंह के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से समय करीब 11:05 पीएम पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 9829972367 पर पत्नी श्रीमती गंगा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री करणसिंह से बरामद मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर

करवाये गये तथा कपडे की थेली में सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। दिनांक 27.12.2022 को समय 12:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह, सीलबंद जब्तशुदा धोवन की शाशियां, सीलबंद रिश्वत राशी, सीलबंद टीशर्ट पेकेट, सीलबंद मोबाईल पेकेट तथा आरोपीगणो श्री धरमवीर, श्री करणसिंह, तथा ब्यूरों टीम सदस्य पुलिस थाना कोटडा जिला उदयपुर से दोनों प्राईवेट टेक्सी वाहनों से भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर के लिए रवाना हुए तथा परिवादी को रूकसत दी गई। समय करीब 03:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, हमराहीन पु0नि0, स्वतंत्र गवाह, ब्यूरों टीम मय सीलबंद जब्तशुदा आर्टिकल्स तथा गिरफ्तारशुदा आरोपीगणो श्री धरमवीर, श्री करणसिंह, तथा ब्यूरों टीम सदस्य भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर पहूँचे। मालखाना आर्टिकल्स प्रभारी मालखाना श्री सुरेश कुमार एएसआई को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखनें तथा रजिस्टर में ईन्दाज करनें की हिदायत दी गई। स्वतंत्र गवाह को रूकसत दी गई। तत्पश्चात आरोपियों को सुरक्षित हवालात मे रखनें हेतु पुलिस थाना हाथीपोल में जमा कराया गया। तत्पश्चात आरोपी को पुलिस थाना हाथीपाल से प्राप्त कर स्वास्थ्य परीक्षण करा माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात/ संबंधित न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर हर दोनो आरोपियों जेसी आदेशित किया जाने पर नियमानुसार केन्द्रिय करागार उदयपुर पर सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई।

दर्ज रहे कि दिनांक 23.12.2022 को परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया पुत्र श्री धरमा निवासी कूकावास तहसील कोटडा जिला उदयपुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि कोटडा उपकारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे परिवादी के भाई श्री दिनेश के साथ मारपीट नही करनें, सही खाना देने एवं परिजनों से मिलनें की सुविधा देने की एवज में उपकारापाल श्री धरमवीर द्वारा दलाल श्री करणसिंह के माध्यम से रिश्वत राशी की मांग की जा रही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 24.12.2022 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री धरमवीर एवं दलाल श्री करणसिंह द्वारा परिवादी से 5000 रूपयें रिश्वत ग्रहण मांग कर 3000 रूपये ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति करना सत्यापित पाया गया। जिस पर दिनांक 26.12.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से 3000 रूपयें रिश्वत राशी ग्रहण कर स्वयं की पहनी हुई टीशर्ट मे रखने पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह से रिश्वत राशी बरामद की गई। तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री करणसिंह के मोबाईल से वॉटसअप कॉल करा आरोपी उपकारापाल श्री धरमवीर से वार्ता करा रिकार्डडिंग की गई तो आरोपी धरमवीर ने रिश्वत राशी लेकर उपकारागृह कोटडा पर उपस्थित आने की स्वीकारोक्ति की गई। जिस पर आरोपी दलाल श्री करणसिंह के प्रकियानुसार दोनों हाथों का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ तथा पहने हुए टीशर्ट की जेब का धोवन लिया गया तो उसका रंग गुलाबी होना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उपकारागृह कोटडा से प्राप्त माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटडा जिला उदयपुर के आदेश कमांक 370 दिनांक 10.11.2022 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त की गई तो परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया के भाई श्री दिनेश को उक्त आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना तथा दिनांक 10.11.2022 से कोटडा उपकारागृह पर आरोपी श्री धरमवीर के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अभिरक्षा में होना पाया गया है।

इस प्रकार आरोपी श्री धरमवीर एवं उसके दलाल आरोपी श्री करणसिंह द्वारा कोटडा उपकारागृह पर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया के भाई श्री दिनेश के साथ मारपीट नही करनें, सही खाना देने एवं परिजनों से मिलनें की सुविधा देने की एवज में आरोपी श्री धरमवीर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोंग कर उसके दलाल श्री करणसिंह से षडयंत्र रचकर अवैध पारितोषण के रूप में 5000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर 3000 रूपयें की रिश्वत राशी की ग्रहण करनें की सहमति प्रदान कर दिनांक 26.12.2022 को वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री धरमवीर के कहे अनुसार आरोपी दलाल श्री करणसिंह द्वारा परिवादी श्री प्रताप बूम्बरिया से 3000 रूपयें अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर अपनी पहनी

हुई टी–शर्ट की आगे की जेब में रखना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, संशोधित पीसी एक्ट 2018 एवं 120 बी भा0दं0सं0 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

आरोपी 1 श्री धरमवीर पुत्र श्री वीरेन्द्रसिंह उम्र 33 वर्ष जाति गुर्जर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल उपकारापाल उपकारागृह कोटडा जिला उदयपुर एवं 2 श्री करणसिंह पुत्र श्री एकनाथसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपुत निवासी माण्डवा रोड कोटडा, जिला उदयपुर (आरोपी श्री धरमवीर के दलाल) के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री धरमवीर हाल उपकारापाल उपकारागृह कोटड़ा, जिला उदयपुर एवं 2. प्राईवेट व्यक्ति श्री करणसिंह पुत्र श्री एकनाथसिंह निवासी माण्डवा रोड़, कोटड़ा, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 491/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4169-72 दिनांक 27.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

27.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।